न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 17/542

1. शेर सिंह आत्मज श्री अमोलक सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 646 महावीर नगर प्रथम कोटा तहसलील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रमण राज सिंह आत्मज श्री अमोलक सिंह जाति राजपूत निवासी जनता कॉलोनी रजत गृह बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. गज सिंह आत्मज श्री अमोलक सिंह जाति राजपूत निवासी मालिकपुरा हाउस, कल्याणपुरा कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम मालिकपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की कुल रकबा 11.35 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है । वादी अपने हिस्से का विधिवत विभाजन करवा कर अपने हिस्से में प्राप्त भूमि का पृथक इन्द्राज करवाकर पृथक लगान दर्ज करवाने का अधिकारी है।

3. अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में से वादी को उसके 1/3 हिस्से का विधिवत विभाजन करवा कर वादी का हिस्सा पृथक से खातेदारी में दर्ज करवाया जावे एवं

न पृथक से दर्ज करवाया जावे तथा पक्षकारान के मध्य भूमि का विधिवत विभाजन करवाया कर नक्शे में तरमीम किया जावे व भूमि का कब्जा वादी को संभलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान को उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार को मौका कमीश्नर नियुक्त कर पक्षकारान के मध्य राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एंव डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना सूचना दिये पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.08.2017 को पटवार हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने जाने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.05.2017 नियत की थी किन्तु इस तारीख को पत्रावली नहीं निकली और प्रतिवादीगण और उनके अभिभाषक महोदय को कोई तारीख पेशी नहीं दी तथा राजस्व अभियान के बाद तारीख पेशी देने का कथन किया । उक्त प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादीगण को शहादत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अभिभाषक की अनुपस्थिति में दिनांक 10.07.2017 को निर्णय पारित कर दिया । उक्त प्रकरण में तनकीयात कायमी हेतु तारीख पेशी नियत थी और यह कार्य न्यायालय का था तथा इस तारीख को पक्षकारान के उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर पक्षकारान को शहादत पेश करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण में बाद बहस निर्णय पारित करना चाहिए था । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार सहमत नहीं थे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.07.2017 निरस्त फरमाया जावे।

पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.07.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एंव डिक्री राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 10.07.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य, दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा